हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 जून, 2019

संख्या लैज. 12/2019.– दि हरियाणा अकाउन्टेबिलिटि आफ पब्लिक फाइनैन्स ऐक्ट, 2019, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 11 जून, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 12

हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व अधिनियम, 2019

लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था के समुचित लेखा और संपरीक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्तरदायित्व को सुकर बनाने हेतु दक्ष तथा प्रभावी प्रणाली के द्वारा राज्य के वित्तीय प्रशासन में उत्तरदायित्व हेतु तथा इससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।

(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था'' से अभिप्राय है, सभी विभाग, बोर्ड, निगम, सहकारी सोसाइटी, विश्वविद्यालय, स्थानीय प्राधिकरण, वैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित, नियन्त्रित या वित्तपोषित अन्य प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठन, जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान या अंशदान प्राप्त करते हैं तथा वे सभी संस्थाएं जो किसी भी रूप में राज्य सरकार से लोक धन–राशियां प्राप्त करती हैं, इनमें वे संगठन भी शामिल हैं, जो राज्य की संचित निधि में से निधियां प्राप्त करते हैं;

(ख) ''लेखा अधिकारी'' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, इसमें वे भी शामिल हैं, जिन्हें आऊटसोर्स या पारिश्रमिक पर लिया गया है, जिन्हें आय तथा खर्च के लेखों का रख–रखाव करने का कार्य सौंपा गया है, इसमें किसी लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था का वित्तीय हिसाब–किताब भी शामिल है;

(ग) ''संपरीक्षा अधिकारी'' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, इसमें वे भी शामिल हैं जिन्हें आऊटसोर्स या पारिश्रमिक पर लिया गया है, जिन्हें आय तथा खर्च के लेखों के सत्यापन का कार्य सौंपा गया है, इसमें किसी लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था का वित्तीय हिसाब–किताब भी शामिल है;

(घ) ''संपरीक्षा'' में शामिल हैं, पूर्व–संपरीक्षा, समवर्ती संपरीक्षा, पश्च–संपरीक्षा, नमूना संपरीक्षा, विशेष संपरीक्षा, क्रमबद्ध संपरीक्षा, संपादन संपरीक्षा तथा लेखों की ऐसी अन्य जांच, जो विहित की जाए ;

(ड.) ''प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, प्रत्येक लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों की पालना करने हेतु जिम्मेवार कोई अधिकारी;

(च) ''समवर्ती संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, दैनिक संव्यवहार के लेखों की सतत् संपरीक्षा;

(छ) ''स्थानीय प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, तत्समय लागू सुसंगत विधि के अधीन गठित कोई नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिका समिति, नगर सुधार न्यास, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् ;

(ज) ''स्थानीय निधि'' से अभिप्राय है–

(i) लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था द्वारा प्रशासित राजस्व जो राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन विधि या नियमों द्वारा विधि का बल रखती है, चाहे सामान्य कार्यवाहियों या विशेष मामलों जैसे बजट की स्वीकृति, विशिष्ट पद के सृजन या भरने की स्वीकृति या अवकाश, पेंशन इत्यादि से संबंधित नियमों के संबंध में हो;

(ii) किसी लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था का राजस्व, जो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया जाए ;

(झ) ''संपादन संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, किसी लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था के किसी कार्यक्रम, कृत्य, संचालन या प्रबन्धन प्रणाली तथा प्रक्रिया की स्वतन्त्र जांच, चाहे ऐसी संस्था उपलब्ध संसाधनों से नियोजन में मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभाविता उपार्जित कर रही हो ;

(ञ) ''पश्च–संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, संव्यवहारों के समापन के बाद संचालित ब्यौरेवार संपरीक्षा;

(ट) ''पूर्व–संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, वित्तीय दस्तावेजों की ब्यौरेवार जांच यह सुनिश्चित करने हेतु कि संव्यवहार के संचालन से पूर्व सभी जानकारी सही हैं;

(ठ) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ड) ''विशेष संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, सम्पूर्ण जांच के लिए आवश्यक किसी विनिर्दिष्ट मद या मदों की श्रृंखला से सम्बन्धित लेखों की संपरीक्षा;

(ढ) ''क्रमबद्ध संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, किसी प्रणाली की प्रभाविता के मूल्यांकन तथा सुधार का दृष्टिकोण यह सत्यापन करने के लिए कि प्रणाली के भीतर, वैयक्तिक घटक कथित उद्देश्यों को उपार्जित करने में प्रभावी तथा उपयुक्त हैं, इसमें कारबारी प्रक्रिया रि–इंजिनियरिंग भी शामिल है ;

(ण) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;

(त) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(थ) ''नमूना संपरीक्षा'' से अभिप्राय है, विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान विशिष्ट प्रकार के खर्च तथा प्राप्ति के संव्यवहारों की जांच–पड़ताल हेतु संपरीक्षा;

(द) ''विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है, राज्य विधानमण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई विश्वविद्यालय तथा इसमें केन्द्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय भी शामिल होगा, जो किसी प्रयोजन के लिए राज्य सरकार से सहायता अनुदान या अंशदान प्राप्त कर रहा है।

लेखों की संपरीक्षा।

3. इस अधिनियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी तथा नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम 56) की शक्तियों तथा कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन उपबन्धित रीति में तथा ऐसी लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था के संबंध में संपरीक्षा की लागत की वसूली के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था की संपरीक्षा का संचालन करना विधिपूर्ण होगा।

राज्य संपरीक्षा तथा राज्य लेखा विंग का अलग होना।

4. (1) संपरीक्षा विंग तथा लेखा विंग होंगी और उनकी अगवाई क्रमशः निदेशक, संपरीक्षा तथा निदेशक, लेखा द्वारा की जाएगी तथा प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के पर्यवेक्षणाधीन कार्य करेंगी।

(2) प्रत्येक लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था के लेखों की संपरीक्षा तथा रख–रखाव या किसी विशिष्ट क्रियाकलाप की रीति ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

लेखों के प्ररूप।

5. प्ररूप, जिनमें लेखों का रख–रखाव किया जाना है, जिसमें लेखा प्रोद्भूत प्रणाली, उद्यम संसाधन प्लानिंग साधन तथा समुचित प्रौद्योगिकी का परिनियोजन शामिल है, ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

हरियाणा राज्य संपरीक्षा तथा लेखा सेवाओं का गठन।

6. (1) राज्य सरकार, हरियाणा राज्य संपरीक्षा तथा लेखा सेवाओं का गठन करेगी। सेवा के सदस्यों की भर्ती का ढंग तथा सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व स्थानीय लेखा–परीक्षा विभाग, जो इसमें, इसके बाद, राज्य लेखा–परीक्षा विभाग के नाम से ज्ञात होगा। इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व कार्यरत निदेशक, स्थानीय लेखा–परीक्षा, निदेशक, राज्य लेखा–परीक्षा विभाग के रूप में बना रहेगा।

संपरीक्षा हेतु लेखों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकरण का दायित्व।

7. (1) वित्त वर्ष से सम्बन्धित लेखे, प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद तीन मास के भीतर प्राधिकरण द्वारा संपरीक्षा हेतु ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में तैयार तथा प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) प्राधिकरण, निम्नलिखित ब्यौरों के साथ–साथ लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था के विभिन्न बैंक खातों के ब्यौरों सहित प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक प्रमाणित वित्तीय प्रकटीकरण प्रस्तुत करेगा–

(i) विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई लोक–निधियां;

(ii) उस पर ब्याज; तथा

(iii) उस तिथि को उपयोग तथा भावी खर्च योजना।

(3) राज्य सरकार, किसी लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था, जो वित्त वर्ष के अन्त से तीन मास की समाप्ति पर संपरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत करने में असफल रहती है, को जारी की गई निधियों को रोक सकती है।

(4) राज्य सरकार, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में संपरीक्षा अधिकारियों द्वारा यथा परिलक्षित हानि की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी।

(5) प्राधिकरण, यह जांच–पड़ताल करेगा कि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किसी लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था को उपलब्ध करवाई गई लोक निधियां वित्त वर्ष में खर्च कर ली गई हैं, जिसमें असफल रहने पर, राज्य सरकार मितव्ययिता, दक्षता, प्रभाविता, जिनसे संसाधनों का उपयोग किया गया है, से जांच प्रारम्भ कर सकती है तथा सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद–

(i) वित्त वर्ष के भीतर अनुपयोग के लिए स्पष्टीकरण मांग सकती है;

(ii) विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण मांग सकती है;

(iii) ऐसी निधि पर प्रोद्भूत ब्याज सहित राज्य द्वारा आबंटित निधि को वापस ले सकती है तथा राज्य सरकार द्वारा नामित बैंक खाते में इसे जमा करवा सकती है:

परन्तु उपरोक्त वापस ली गई निधि, उपयोग के लिए निश्चित कार्य योजना सहित लेखादायी तथा संपरीक्षायोग्य संस्था द्वारा निवेदन प्रस्तुत किए जाने पर राज्य सरकार द्वारा जारी की जा सकती है :

परन्तु यह और कि भारत के संविधान या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल कोई भी निधि वापस नहीं ली जाएगी।

नियम बनाने की शक्ति।

8. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सरकार निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करने हेतु नियम बना सकती है:–

(क) धारा 3 के अधीन संपरीक्षा की लागत को वसूल करने हेतु रीति;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन लेखों की संपरीक्षा तथा रख–रखाव की रीति;

(ग) प्ररूप, जिसमें धारा 5 के अधीन लेखों का रख–रखाव किया जाना है;

(घ) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संपरीक्षा के लिए लेखों को तैयार तथा प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप तथा रीति;

(ङ) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन हानि की वसूली के लिए रीति;

(च) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाना है या किया जा सकता है।

.....

मीनाक्षी आई० मेहता,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

57146—L.R.—H.G.P., Chd.